



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 46 राँची, शुक्रवार,

27 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 नवम्बर, 2022

संख्या -16/से०गा०अ०-01-05/2013 (खण्ड-II) का.-7393--झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के 04 सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकार, द्वितीय अपील प्राधिकार तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है:-

क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय-सीमा
1	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	Non Encumbrance Certificate	District Sub Registrar /Sub Registrar	07 working days	Deputy Commissioner-cum-District Registrar	15 working days	Divisinal Commissioner	15 working days
2		Marriage Under Special Marriage Act	District Sub Registrar/ Sub Registrar	90 working days	Deputy Commissioner cum-District Registrar	15 working days	Divisinal Commissioner	15 working days
3		Marriage Under Hindu Marriage Act	District Sub Registrar/ Sub Registrar	03 working days	Deputy Commissioner cum-District Registrar	15 working days	Divisinal Commissioner	15 working days
4		Compulsary Marriage Act	District Sub Registrar/ Sub Registrar	15 working days	Deputy Commissioner cum-District Registrar	15 working days	Divisinal Commissioner	15 working days

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,
सरकार के उप सचिव
